25/02/2021

पत्रावली पेश। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं एवं एक बार बार आवाज पुकारा गया परन्तु उपस्थित नहीं अतः प्रार्थी का प्रा.प. अधिनियम 1959 के अधीन पैरवी में अवरोध किया जाता है। पत्रावली बाद तामील पश्चात फैसल शुमार होकर नस्ती एवं अग्रिम चले।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:40:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner